बिजनौर पुलिस

Date:- 09-06-2022

PRESS NOTE

थाना मंडावर पुलिस द्वारा 03 शातिर चोर, चोरी की 02 ट्रॉलियों व घटना में प्रयुक्त 02 ट्रैक्टर तथा अवैध शस्त्रों सहित गिरफ्तार

दिनांक 08.06.2022 को श्री निशान्त कुमार निवासी ग्राम कबूलपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर व श्री शिवकुमार निवासी ग्राम सुखानन्दपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर द्वारा अपनी-अपनी दोपहिया ट्रॉलियों की चोरी के सम्बन्ध में थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 126/22 व मु0अ0सं0 128/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत कराया।

मेरें द्वारा उपरोक्त घटनाओं का संज्ञान लेते हुए शीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु थाना मण्डावर पुलिस को निर्देशित किया गया, इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) व क्षेत्राधिकारी (नगर) के कुशल पर्यवेक्षण में थाना मण्डावर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान दिनांक 08.06.2022 को रात्रि समय करीब 23.00 बजे बालावाली रोड किशनवास पुलिया के पास से अभियुक्तगण 1.रजनीश उर्फ रजत (उम्र 25 वर्ष) पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सुखानन्दपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर 2.देवेन्द्र उर्फ बन्टी (उम्र 28 वर्ष) पुत्र शेर सिंह निवासी मौहम्मदपुर देवमल थाना मण्डावर जनपद बिजनौर 3.जितेश उर्फ काले (उम्र 20 वर्ष) पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम कबूलपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को चोरी की 02 ट्रॉलियों, घटना में प्रयुक्त 02 ट्रेक्टर (फार्मट्रेक चैम्पियन व आयशर 551), 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व 02 चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया। अवैध शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 129/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम रजनीश उर्फ रजत, मु0अ0सं0 130/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम देवेन्द्र उर्फ बन्टी व मु0अ0सं0 131/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम जितेश उर्फ काले पंजीकृत किया गया। अभि0गण का एक अन्य साथी सलीम पुत्र रहीम खाँ निवासी गंगोड़ा जट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u> अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ पर बताया कि वह ट्रॉली चोरी करके उन्हे सस्ते दामों में बेच देते है तथा पैसे को आपस में बाँट लेते है। कुछ समय पूर्व उनके द्वारा एक ट्रॉली गांव सुखानन्दपुर से तथा दूसरी ट्रॉली गांव कबूलपुर से चोरी की गयी थी। चोरी की दोनो ट्रॉलियों को वह लोग अपने ट्रेक्टरों से बेचने के लिये जा

रहे थे। बरामद ट्रेक्टरों में एक ट्रेक्टर (फार्मट्रेक चैम्पियन) अभि0 रजनीश उर्फ रजत का है तथा दूसरा ट्रेक्टर (आयशर 551) उनके द्वारा ग्राम बादशाहपुर निवासी साजन से किराये पर ले रखा था। अभि0गण ने जनवरी 2021 में ग्राम रानीपुर से एक ट्रॉली (टिपलर) चोरी कर उसे राह चलते अज्ञात व्यक्तियों को बेच दिये जाने की बात स्वीकार की है।

अभियुक्त देवेन्द्र के विरुद्ध गुण्डा एक्ट व हिस्ट्रीशीट खोले जाने की कार्यवाही प्रचलित है। अभियुक्तगण की हिस्ट्रीशीट खोलने तथा गुण्डा/गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्यवाही की जायेगी। अभि0गण को रिमाण्ड पर लेकर अन्य विस्तृत जानकारी की जायेगी।

अभियुक्तगण का विवरणः-

1.देवेन्द्र उर्फ बन्टी (उम्र 28 वर्ष) पुत्र शेर सिंह निवासी मौहम्मदपुर देवमल थाना मण्डावर जनपद बिजनौर

2.जितेश उर्फ काले (उम्र 20 वर्ष) पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम कबूलपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर

3.रजनीश उर्फ रजत (उम्र 25 वर्ष) पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सुखानन्दपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर

फरार अभियुक्त का विवरणः-

सलीम पुत्र रहीम खाँ निवासी गंगोड़ा जट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरणः-

चोरी की 02 दोपहिया ट्रॉलियां

घटना में प्रयुक्त 02 ट्रेक्टर

01 अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व 02 चाकू नाजायज

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

1.देवेन्द्र उर्फ बन्टी (उम्र 28 वर्ष) पुत्र शेर सिंह निवासी मौहम्मदपुर देवमल थाना मण्डावर जनपद बिजनौर

मु0अ0सं0 111/2012 धारा 363/366 भादवि थाना नांगल जिला बिजनौर

मु0अ0सं0 62/2013 धारा 323/504/325 भादवि थाना नांगल जिला बिजनौर

मु0अ0सं0 259/2020 धारा 420/364/506 भादवि थाना मण्डावर जिला बिजनौर

मु0अ0सं0 130/2022 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना मण्डावर जिला बिजनौर

मु0अ0सं0 229/2018 धारा 147/323/307/506 भादवि थाना मण्डावर जिला बिजनौर

मु0अ0सं0 126/2022 धारा 379/411 भादवि थाना मण्डावर जिला बिजनौर

2.जितेश उर्फ काले (उम्र 20 वर्ष) पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम कबूलपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर

मु0अ0स0 131/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डावर जिला बिजनौर

मु0अ0स0 126/2022 धारा 379 /411 भादवि थाना मण्डावर जिला बिजनौर

3.रजनीश उर्फ रजत (उम्र 25 वर्ष) पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सुखानन्दपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर

मु0अ0स0 128/2022 धारा 379 /411 भादवि थाना मण्डावर जिला बिजनौर

मु0अ0स0 129/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डावर जिला बिजनौर

थाना मंडावर पुलिस टीम का विवरणः-

श्री संजय कुमार, थानाध्यक्ष, उ0नि0 श्री सतेन्द्र उज्जवल, उ0नि0 श्री श्रीपाल सिंह, का0 1783 सुशील कुमार का0 1846 रिंकू रावल, का0 589 देवेन्द्र, का0 1439 सन्दीप कुमार, का0 1946 निश्चल

थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा 15 हजार रुपये का इनामी व अपने छोटे भाई के साथ मिलकर उसकी पत्नी की हत्या में संलिप्त अभियुक्त अतीक गिरफ्तार।

दिनांक 31.05.2022 को श्रीमती रिहाना परवीन पत्नी नाजिम निवासी ग्राम अकबरपुर तिगरी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर द्वारा अपनी छोटी बहन चायना (उम्र 40 वर्ष) पत्नी नसीम निवासी ग्राम मुबारकरपुर कलां थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर की बिना बताए घर से चले जाने के सम्बन्ध मे थाना हीमपुर दीपा पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई।

दिनांक 01.06.2022 को गुमशुदगी में की गयी जांच के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा चांदपुर के मौहल्ला पतियापाड़ा से अभियुक्त नसीम उम्र करीब 45 वर्ष (मृतका का पति) पुत्र अनीसुद्दीन निवासी मुबारकपुर कलां थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को दिनांक 02.06.2022 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त नसीम की निशादेही पर चायना उपरोक्त का शव जंगल ग्राम मुबारकपुर कलां में ईख के खेत में गड्ढे से बरामद किया गया था। इस सम्बन्ध में मृतका के भाई कालू नि0ग्राम सोतखेड़ी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर की तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 124/22 धारा 302/201 भादवि बनाम 1- नसीम 2- अतीक पुत्रगण अनीसुद्दीन 3- रजिया परवीन (नसीम की पहली पत्नी) आदि निवासीगण ग्राम मुबारकरपुर कलां थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर पंजीकृत किया गया।

मेरे द्वारा उक्त अभियोग में शेष नामित अभियुक्तगण 1- अतीक पुत्र अनीसुद्दीन 2- रजिया परवीन (नसीम की पहली पत्नी) की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु 15000/- हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी चाँदपुर के निर्देशन में थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा आज दिनांक 09.06.2022 समय 10.50 बजे मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 124/22 के वाछिंत व 15000/- रुपये के इनामी अभियुक्त अतीक पुत्र अनीसुद्दीन को मुबारकपुर कलां तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियोग में नामित शेष अभियुक्ता रजिया परवीन की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई है।

अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि उसके छोटे भाई नसीम का अपनी दोनों पत्नियों को लेकर विवाद रहता था। दिनांक 26.05.2022 की रात्रि में उसके छोटे भाई व उसकी पत्नी में विवाद हुआ था। जिसमें उसकी पत्नी चायना उसके भाई को दिल्ली ले जाने को लेकर झगडने लगी। इस बात को लेकर मेरे भाई ने गुस्से में आकर चायना की गला दबाकर हत्या कर दी तथा उसके द्वारा अपने छोटे भाई व रजिया परवीन की मदद शव की पहचान छिपाने के लिए की गई थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

अतीक पुत्र अनीसुद्दीन निवासी ग्राम मुबारकपुर कलां थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अतीक उपरोक्त

1) मु0अ0सं0 526/09 धारा 307/323/324/326/504/506 भादवि थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
2) मु0अ0सं0 142/19 धारा 323/325/452/504 भादवि थाना थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
3) मु0अ0सं0 124/22 धारा 302/201 भादवि थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-थाना प्रभारी श्री संजय कुमार, वरि0उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार सिंह, उ0नि0 श्री सत्येन्द्र कुमार, हे0का0 मौ0 दानिश, का0 सुमित।

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा 02 अभि0गण 675 ग्राम सोने के बिस्किट (07 पीस), 01 गाड़ी एन्डेवर (कुल कीमत करीब 50 लाख रुपये) व अवैध लाईसेंसी रिवाल्वर सहित गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) व क्षेत्राधिकारी, अफजलगढ के निकट पर्यवेक्षण मे दिनांक

08.06.2022 को सयम करीब 19.20 बजे चेकिंग के दौरान थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा पी0डब्लू0डी0 गेस्ट हाऊस के सामने से अभि0गण अब्दुल रहमान पुत्र अब्दुल खालिक निवासी अब्दुल्ला बिल्डिंग बरेली रोड हल्द्वानी कोतवाली हल्द्वानी जिला नैनीताल उत्तराखण्ड व चालक आकर्ष शर्मा पुत्र विसाल शर्मा नि0 262/1 नगला बिट्ट रोड प्रगति नगर साकेत थाना सि0ला0 जनपद मेरठ को को 675 ग्राम सोने के 07 बिस्किट नुमा पीस, 01 अवैध लाइसेन्सी रिवाल्वर 0.32 बोर मय 05 जिन्दा कारतूस 0.32 बोर व कार फोर्ड एन्डेवर गाडी नं0 UK04AD6000 सहित गिरफ्तार किया। अभियुक्तगण द्वारा बरामद सोने का बिल होने से मना किया। अवैध लाइसेन्सी शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 144/22 धारा 25 शस्त्र अधि0 बनाम उपरोक्त व मु0अ0सं0 145/22 धारा 30 शस्त्र अधि0 बनाम आर्या भारद्वाज (लाइसेन्सी रिवाल्वर मालिक) पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह दोनो सोने के लेन-देन का व्यापार करते है, सोने को थोक में खरीदकर सस्ते रेट पर आम जनता को बेचते है। अभि0 अब्दुल रहमान द्वारा बताया गया उपरोक्त गाडी उसके भाई की है तथा रिवाल्बर उसके भाई के दोस्त आर्या भारद्वाज की है। अभियुक्तों से बरामद सोने को ट्रेजरी मे रखवाया गया है ।

अभियुक्तगण का नाम व पताः–

1.अब्दुल रहमान उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र अब्दुल खालिक नि0 अब्दुल्ला बिल्डिग बरेली रोड हल्द्वानी बरेली रोड हल्द्वानी को0 हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)।

2.आकर्ष शर्मा पुत्र विसाल शर्मा नि0 262/1 नगला बिट्ट रोड प्रगति नगर साकेत थाना सि0ला0 जनपद मेरठ

गिरफ्तारी हेतु शेष अभियुक्त का नाम पताः–

1.आर्या भारद्वाज पुत्र शिव हरी नि0 मकान न0-108 इन्ड्रस्ट्रियल विलेज रझूपी दीमापुर नागालैण्ड हाल पता मकान न0-4215 नगला इन्कलेव पार्ट -2 एनआईटी को0 फरीदाबाद जनपद फरीदाबाद उम्र-20 वर्ष ।

अभियुक्त से बरामदगी :-

एक अवैध लाईसेन्सी रिवाल्वर 0.32 बोर मय 05 जिन्दा कारतूस 0.32 बोर।

लगभग 675 ग्राम सोना कीमत करीब 40,00000/- (चालीस लाख रूपये) रुपये ।

01 फोर्ड ऐन्डेवर गाडी नं0 यू0के0 04 एडी 6000 ।

पुलिस टीम का विवरणः-

श्री मनोज कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक, उ0नि0 श्री दिनेश कुमार शर्मा, कां0 35 ओम सिह, कां0 930 मार्शल

बिजनौर पुलिस

नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन

थाना रेहड़ः-मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

थाना किरतपुरः- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

थाना कोतवाली शहरः- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

<u>पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में MissionShakti कार्यक्रम के अन्तर्गत BijnorPolice के समस्त थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क पर महिला फरियादियों की समस्या सुनते हुए महिला पुलिसकर्मी।</u>